"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2015—कार्तिक 1, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विवेक मुदलियार पिता श्री व्ही. टी. राजाबहादुर मुदलियार, आयु 51 वर्ष, निवासी-सारंग भवन, जी. ई. रोड, मुख्य डाकघर के सामने, राजनांदगांव तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम व्ही. आर. विवेकानंद दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विवेक मुदलियार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे विवेक मुदलियार पिता श्री व्ही. टी. राजाबहादुर मुदलियार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

व्ही. आर. विवेकानंद
पिता श्री व्ही. टी. राजाबहादुर
निवासी- सारंग भवन, जी. ई. रोड,
मुख्य डाकघर के सामने, राजनांदगांव
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

विवेक मुदलियार
पिता श्री व्ही. टी. राजाबहादुर मुदलियार
निवासी- सारंग भवन, जी. ई. रोड,
मुख्य डाकघर के सामने, राजनांदगांव
तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आराधना फिलिप आत्मजा डॉ. फिलिप नेलसन, उम्र 23 वर्ष, निवासी–क्रिश्चियन हास्पिटल, सुभाष चौक, दल्ली राजहरा, तहसील डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे जन्म के समय से मेरे नाना डॉ. के. एम. मथाई ने मुझे नेहा फिलिप के नाम से पुकारते थे तथा इसी नाम से भारतीय यूनिट ट्रस्ट के राजलक्ष्मी योजना में रकम निवेश किये थे. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम आराधना फिलिप रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे आराधना फिलिप आत्मजा डॉ. फिलिप नेलसन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
नेहा फिलिप आत्मजा - डॉ. फिलिप नेलसन निवासी– क्रिश्चियन हास्पिटल, सुभाष चौक, दल्ली राजहरा तहसील डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ. ग.)	आराधना फिलिप आत्मजा - डॉ. फिलिप नेलसन निवासी– क्रिश्चियन हास्पिटल, सुभाष चौक, दल्ली राजहरा तहसील डौंडीलोहारा, जिला बालोद (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पी. प्रसाद राव पिता स्व. पी. बाल कोटय्या, उम्र 59 वर्ष, निवासी– म. नं.10/1142, सेक्टर 1, शिवानंद नगर खमतराई, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा पूरा नाम परीटाला प्रसाद राव पिता स्व. श्री परीटाला बाल कोटय्या है. हमारी संस्कृति व परम्परा अनुसार उपनाम अथवा सरनेम को प्रथम स्थान पर लिखते हैं. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम प्रसाद राव लिखा गया है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम जोड़कर नया नाम पी. प्रसाद राव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे पी. प्रसाद राव पिता स्व. पी. बाल कोटय्या के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
प्रसाद राव पिता - स्व. पी. बाल कोटय्या निवासी– म. नं. 10/1142, सेक्टर 1, (नजदीक धरम किराया भंडार) शिवानंद नगर, खमतराई रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)	पी. प्रसाद राव पिता - स्व. पी. बाल कोटय्या निवासी– म. नं. 10/1142, सेक्टर 1, (नजदीक धरम किराया भंडार) शिवानंद नगर, खमतराई रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राज कुमार पटेल पिता स्व. बोधी राम पटेल, जाति मरार, उम्र 39 वर्ष, निवासी-आवास क्रमांक 002 बी, सड़क 22, नंदिनी माईंस, तह. धमधा जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राज कुमार दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम ''पटेल'' जोड़कर अपना नया नाम राज कुमार पटेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राज कुमार पटेल पिता स्व. बोधी राम पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राज कुमार पिता-स्व. बोधी राम निवासी-आवास क्रमांक 002 बी, सड़क क्र. 022, नंदिनी माईंस, तह. धमधा जिला दुर्ग (छ. ग.) पिनकोड 490036	राज कुमार पटेल पिता-स्व. बोधी राम पटेल निवासी-आवास क्रमांक 002 बी, सड़क क्र. 022, नंदिनी माईंस, तह. धमधा जिला दुर्ग (छ. ग.) पिनकोड 490036

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयन अधिकारी, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

खैरागढ़, दिनांक 17 सितम्बर 2015

क्रमांक/1786/प्र-1/अ.वि.अ./2015.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक श्री सोहन लाल कोठारी पिता संपतलाल निवासी बालोद, जिला-बालोद, अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी देवकी बाई भीखमचंद लुनिया चेरिटेबल ट्रस्ट खैरागढ़, ट्रस्ट पंजीयन क्र. 15, ट्रस्टी के सदस्य श्री गौतम चंद लुनिया एवं श्री देवराज लुनिया को सर्वसम्मति से ट्रस्ट से हटाये जाने के फलस्वरूप उसके स्थान पर श्री हुकुम चंद मुणोत एवं श्री भोमराज जी बैंद को ट्रस्टी बनाये जाने तथा देवकी बाई बेवा भीखम चंद अध्यक्ष, मैनेजिक ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने पर वसीयतनामा अनुसार मैनेजिक ट्रस्टी आवेदक श्री सोहन लाल कोठारी पिता संपतलाल को बनाये जाने उपरांत लोक न्यास अधिनियम की धारा 9 नियम 6 के तहत ट्रस्ट नियमावली में संशोधन किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है.

अतएव उक्त ट्रस्ट नियमावली में संशोधन किये जाने में किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो अपना आक्षेप ईश्तहार प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद में प्राप्त आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 17-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी.

पी. एस. ध्रुव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयन अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

पेण्ड्रारोड, दिनांक 05 अक्टूबर 2015

क्रमांक/क/अ.वि.अ./री-1/2015/1240.—न्यायालयीन रा. प्र. क्र. 104 ब 121/2010-2011 में श्री आदिशक्ति मां दुर्गादेवी मंदिर समिति धनपुर विकास खण्ड मरवाही जिला-बिलासपुर (छ. ग.) में पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 2 (6) के अंतर्गत ट्रस्ट का गठन किया जाता है. जिसके अनुपालन में ट्रस्ट के कार्यकारिणी पदाधिकारियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	पदनाम (2)	पदाधिकारियों के नाम (3)
1.	संरक्षक	पदेन कमिश्नर, बिलासपुर संभाग बिलासपुर
2.	प्रबंधक	पदेन कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ. ग.)
3.	अध्यक्ष	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ. ग.)
4.	कार्यकारी अध्यक्ष	श्री आनन्द जायसवाल, ग्राम निमधा
5.	उपाध्यक्ष	श्री वेदप्रकाश पाण्डेय, समन्वयक जनपद पंचायत, गौरेला
6.	सचिव	पदेन तहसीलदार, मरवाही
7.	कार्यकारी सचिव	श्री मार्तण्ड सिंह, ग्राम धनपुर
8.	कोषाध्यक्ष	श्री सुरेश पाण्डेय, ग्राम धनपुर
9.	संचालक	बाबा मनुगिरी महराज, धनपुर
10.	पुजारी	श्री लक्ष्मीप्रसाद तिवारी, धनपुर
11.	जनसंपर्क प्रभारी/सदस्य	श्री अक्षय नामदेव, ग्राम पतगवां पेण्ड्रा
12.	सदस्य	पदेन सरपंच ग्राम पंचायत, धनपुर
13.	सदस्य	श्री पूरन छाबरिया, ग्राम पेण्ड्रा हाई स्कूल पुरानी बस्ती के सामने
14.	सदस्य	श्री रामनिवास तिवारी, पुरानी बस्ती पेण्ड्रा
15.	सदस्य	श्री गोविंद यादव, ग्राम धनपुर
16.	सदस्य	श्री फलपालसिंह, ग्राम धनपुर
17.	सदस्य	श्री भागवत सिंह, ग्राम लटकोनीखुर्द
18.	सदस्य	श्री गुलाब वाकरे, ग्राम धनपुर
19.	सदस्य	श्री राजेश पाण्डेय, ग्राम धनपुर

ओम प्रकाश वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्रमांक /परिसमापन/पुनर्जीवित/2015/3161 .—नवजागरण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. सरकंडा, बिलासपुर पं. क्र. 3399 दिनांक 30-08-1991 को पुनर्जीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री अरूण कुमार शर्मा, सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा द्वारा पुनर्जीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. जिसके अनुसार संस्था कार्यशील स्थिति में है संस्था के लंबित वर्षों के अंकेक्षण कराने हेतु आमसभा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया गया था. संस्था के सदस्यों द्वारा बैठक की कार्यवाही दिनांक 02-10-2015 की कार्यवाही विवरण अनुसार संस्था को पुनर्जीवित किये जाने एवं सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करने का निर्णय लिया गया है. अत: सदस्यों के हित में श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत नवजागरण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. सरकंडा, बिलासपुर, पं. क्र. 3399 दिनांक 30-08-1991 को पुनर्जीवित करता हूं एवं आगामी 06 माह तक संस्था के कार्यकारिणी के कार्य संचालक हेतु तात्कालिक संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.